भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2567

उत्तर देने की तारीख 17 मार्च, 2025
26 फाल्गुन, 1946 (शक)

चयन परीक्षणों में पारदर्शिता / निष्पक्षता

†2567. श्री योगेन्द्र चांदोलिया :
श्री विजय कुमार दूबे:
सुश्री कंगना रनौत :
श्री गोडम नागेश :
श्री दिनेशभाई मकवाणा:
श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा चयन परीक्षणों की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) और (ख) : राष्ट्रीय खेल परिसंघ (एनएसएफ) मुख्य रूप से योग्यता के आधार पर प्रमुख प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय टीम के विवेकपूर्ण चयन के लिए उत्तरदायी हैं और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय प्रतिष्ठा तथा देश के गौरव को बढ़ाना है। सरकार खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने 2008, 2018 और 2025 में राष्ट्रीय खेल परिसंघों को निर्देश जारी किए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चयन प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो, और राष्ट्रीय खेल परिसंघों द्वारा सभी संबंधित हितधारकों अर्थात खिलाड़ियों, कोचों आदि को पहले ही चयन मानदंडों के संबंध में सूचित कर दिया जाए और उन्हें संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया जाए।

****